रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 1976/फाल्गुन 21, 1897

No. 88] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 1976/PHALGUNA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March 1976

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976) and in supersession of Equal Remuneration Rules, 1975, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Equal Remuneration Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976);

(b) "Authority" means an authority appointed by the appropriate Government under sub-section (1) of section 7;

(c) "Form" means a form appended to these rules;

(d) "section" means a section of the Act;

(e) "registered Trade Union" means a Trade Union registered under the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926).

CHAPTER II

COMPLAINTS AND CLAIMS UNDER THE ACT

3. **Complaints regarding contravention of the Act.**—(1) Every complaint under clause (a) of sub-section (1) of section 7 shall be made in triplicate, in Form 'A' to the Authority.

(2) A single complaint may be made by, or on behalf of, or in relation to, a group of workers, if they are employed in the same establishment and the complaint relates to the same contravention.

(3) A complaint may be made by the worker himself or herself or by any legal practitioner, or by any official of a registered Trade Union, authorised in writing to appear and act on his or her behalf or by any Inspector appointed under section 9 or by any other person acting with the permission of the Authority.

4. **Claim regarding non-payment of wages etc.**—(1) Every claim under clause (b) of sub-section (1) of section 7 shall be made by petition in triplicate, in Form 'B' to the Authority.

(2) A single petition may be made by, or on behalf of, or in relation to, a group of workers, if they are employed in the same establishment and their claims are of the same nature.

(3) A claim may be made by the worker himself or herself or by any legal practitioner, or by any official of a registered Trade Union, authorised in writing to appear and act on his or her behalf or by any Inspector appointed under section 9 or by any other person acting with the permission of the Authority.

5. **Authorisation.**—The authorisation referred to in sub-rule (3) of rule 3 or sub-rule (3) of rule 4 shall be in Form "C" which shall be presented to the Authority to whom the complaint or the claim, as the case may be, is made alongwith such complaint or claim and shall form part of the record.

CHAPTER III

REGISTERS TO BE MAINTAINED

6. **Registers to be maintained by the employer.**—Every employer shall maintain a register in relation to the workers employed by him in Form 'D'.

FORM A (*To be submitted in triplicate*)

[*See* Rule 3(1)]

Complaint under clause (*a*) *of sub-section* (1) *of section* 7 *of the Equal Remuneration Act*, 1976 (25 *of* 1976).

To

The Authority appointed under sub-section (1) of section 7.

....(Address)

A...Complainant(s)
Full address

Versus

B...Opposite Party
Full address

The complainant(s) begs/beg to complaint that the opposite party has been guilty of a contravention(s) of the provisions of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976) as shown below:—

(Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention(s) has/have taken place and the grounds supporting the complaint.)

The complainant(s) accordingly prays/pray that the Authority...................... may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.

The number of copies of the complaint (alongwith its annexures) as required under sub-rule (1) of rule 3 of the Equal Remuneration Rules, 1976 are submitted herewith.

The complainant(s) does/do solemnly declare that the facts stated in this complaint are true to the best of his/her/their knowledge, belief and information.

Signature(s)/thumb impression(s)
of the complainant(s)

*I have been duly authorised in writing by........................ [here insert the name of the worker(s)], to appear and act on his/her/their behalf.

Signature of the legal practitioner/official of
a registered Trade Union duly authorised.

Station

Date

*Strike out this portion if inapplicable.

FORM B (*To be submitted in triplicate*)

[*See* rule 4(1)]

Claim under clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976).

To

The Authority appointed under sub-section (1) of section 7.

....(Address)

A...Petitioner(s)
Full address

Versus

B...Opposite Party
Full address

The petitioner(s) above named states/state as follows:—

(1) The petitioner(s) was/were/is/are employed from........................ to .... as .... (category) in .... (name of the establishment) of Shri/Messrs........................ (name of the employer and address).

(2) The opposite party is the employer within the meaning of clause (c) of section 2 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976).

(3) The petitioner(s) was/were/has/have not been paid wages at rates equal to those of workers of the opposite sex for the same work or work of a similar nature for the period from...................... to ....

(4) The petitioner(s) was/were/has/have been paid wages at the rate of........... ....whereas workers of the opposite sex for the same work or work of a similar nature were paid/have been paid at the rate of........ .... during the said period.

(5) The petitioner(s) estimates/estimate the value of relief sought by him/them at Rs.................[Rupees.................. (in words)].

(6) The petitioner(s), therefore, prays/pray that the Authority may be pleased to decide the claim set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.

(7) The petitioner(s) begs/beg leave to amend or add to or make alterations in the petition, if and when necessary, with the permission of the Authority.

The petitioner(s) does/do solemnly declare that the facts stated in this petition are true to the best of his/her/their knowledge, belief and information.

Signature(s)/thumb impression(s)
of the Petitioner(s).

*I have been duly authorised in writing by........................ [here insert the name of worker(s)] to appear and act on his/her/their behalf.

Signature of the legal practitioner/official of
a registered Trade Union duly authorised.

Station

Date

*Strike out this portion if inapplicable.

FORM C

(*See* rule 5)

Form of authority in favour of legal practitioner or any official of a registered Trade Union.

I/we hereby authorise Shri/Shrimati/Kumari*——————————— a legal practitioner/an official of———————which is a registered Trade Union to appear and act on my/our behalf, under* sub-rule (3) of rule 3/sub-rule (3) of rule 4 in respect of the *complaint/claim against......................(mention name of employer) on account of......................... (mention violation of the Act).

Signature(s)/thumb impression(s) of the worker(s).

Station

Date

Witness

(1)

(2)

(3)

I accept the authorisation.

Station

Date

*Legal practitioner / Official of a registered Trade Union.

*Strike out whichever is inapplicable.

FORM D

(*See* rule 6)

Register to be maintained by the employer under rule 6 of the Equal Remuneration Rules, 1976

Name of the Establishment with full address ....

Total number of workers employed ....

Total number of men workers employed ....

Total number of women workers employed..

					Components of remuneration				
Category of workers	Brief Description of work	No. of men employed	No. of women employed	Rate of remuneration paid	Basic wage or salary	Dearness allowance	House Rent allowance	Other allowances	Cash value of concessional supply of essential commodities
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[No. F. P. 11025/51/75—WC]

T. S. SANKARAN, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1976

सा०का०नि० 119 (अ).—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समान पारिश्रमिक नियम, 1975 को अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समान पारिश्रमिक नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकारी" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ङ) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ से व्यवसाय संघ" अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अभिप्रेत है।

अध्याय 2

अधिनियम, के अधीन परिवाद और दावे

3. **अधिनियम के उल्लंघन की बाबत परिवाद.**—(1) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक परिवाद प्राधिकारी के समक्ष प्ररूप 'क' में तीन प्रतियों मे किया जाएगा।

(2) यदि कर्मकारों का समूह एक ही स्थापन में नियोजित हो और परिवाद उसी उल्लंघन के सम्बन्ध में हो, तो उनके द्वारा या उनकी ओर से या उनके सम्बन्ध में एक ही परिवाद किया जा सकेगा।

(3) परिवाद, स्वयं कर्मकार द्वारा या किसी विधि व्यवसायी द्वारा या उसकी ओर से उपासंजात होने और कार्य करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के किसी पदधारी द्वारा या धारा 9 के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक द्वारा या प्राधिकारी की अनुज्ञा से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।

4. **मजदूरी आदि का संदाय न किये जाने की बाबत दावा.**—(1) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रत्येक दावा प्राधिकारी के समक्ष अर्जी द्वारा प्ररूप "ख" में तीन प्रतियों में किया जाएगा।

(2) यदि कर्मकारों का समूह एक ही स्थापन में नियोजित हो और उनके दावे एक ही प्रकृति के हों, तो उनके द्वारा या उनकी ओर से या उनके सम्बन्ध में एक ही अर्जी दी जा सकेगी।

(3) परिवाद, स्वयं कर्मकार द्वारा या किसी विधि व्यवसायी द्वारा या उसकी ओर से उपसंजात होने और कार्य करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के किसी पदधारी द्वारा या धारा 9 के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक द्वारा या प्राधिकारी की अनुज्ञा से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिया जा सकेगा।

5. **प्राधिकरण:**—नियम 3 के उपनियम (3) या नियम 4 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्राधिकरण प्ररूप "ग" में होगा और उसे उस प्राधिकारी को जिसके समक्ष, यथा स्थिति, परिवाद या दावा किया गया है ऐसे परिवाद और दावे के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और यह अभिलेख का भाग हो जाएगा।

अध्याय 3

रजिस्टरों का रखा जाना

6. **नियोजक द्वारा रजिस्टरों का रखा जाना.**—प्रत्येक नियोजक अपने पास नियोजित कर्मकारों का एक रजिस्टर प्ररूप "घ" में रखेगा।

प्ररूप 'क' (तीन प्रतियों में दिया जाएगा)

[नियम 3 (1) देखिए]

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 25) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन परिवाद

सेवा में,

धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी,

. . . .

. . . . (पता)

. . . .

क. . . . . परिवादी / परिवादियों का पूरा पता

बनाम

ख. . . . . विरोधी पक्षकार का पूरा पता परिवादी/परिवादियों का यह परिवाद है कि विरोधी पक्षकार समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) के उपबन्धों का उल्लंघन करने का दोषी है जैसा कि नीचे दर्शित है :—

(यहां पर संक्षेप में ऐसी विशिष्टियां दीजिए जिससे वह रीति दर्शित हो, जिसमें तथा कथित उल्लंघन किया गया है/किए गए है और परिवाद के समर्थन में आधार दें)

तदनुसार परिवादी प्रार्थना करता है/करते हैं कि प्राधिकारी ......ऊपर दिए गए परिवाद का विनिश्चय करें और उसमें ऐसा आदेश या ऐसे आदेश पारित करें जो वह ठीक और उचित समझें।

परिवाद की और उसके उपाबन्धों की उतनी प्रतियां जो समान पारिश्रमिक नियम, 1976 के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन अपेक्षित हैं, (इसके उपाबंधों के साथ) प्रस्तुत की जा रही है।

परिवादी निष्ठापूर्वक घोषित करता है / करते हैं कि इस परिवाद में कथित तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और जानकारी के अनुसार सही हैं।

परिवादी के हस्ताक्षर, / अंगूठा निशान

*............ (यहां कर्मकारों के नाम दीजिए) द्वारा मुझे उसकी / उनकी ओर से उपसंजात होने और कार्य करने के लिए लिखित रूप में सम्यकत: प्राधिकृत किया गया है।

सम्यकत: प्राधिकृत विधि व्यवसायी / रजिस्ट्रीकृत

स्थान व्यवसाय संघ के पदधारी के हस्ताक्षर।

तारीख

प्ररूप 'ख' (तीन प्रतियों में दिया जाएगा)

[नियम 4 (1) देखिए]

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दावे

सेवा में,

धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी

.... (पता)

क..................में...........अर्जीदार/अर्जीदारों का पूरा पता

बनाम

ख............................. विरोधी पक्षकार का पूरा पता

ऊपर नामित अर्जीदार निम्नलिखित कथन करता है / करते हैं :—

(1) अर्जीदार, श्री/मैसर्स................ (नियोजक का नाम और पता) के (स्थापन का नाम)..........में........ (प्रवर्ग) के रूप में......... से............... तक नियोजित था/थे*/है/हैं।

(2) विरोधी पक्षकार समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 2 (ग) के खण्ड (ग) अर्थ में नियोजक है।

(3) अर्जीदार/अर्जीदारों को ....से.......... तक की अवधि के लिए वैसे ही काम या उसी प्रकृति के काम के लिए उन दरों के बराबर मजदूरी नहीं दी गई है/थी जिन दरों पर भिन्न लिंग के कर्मकारों को दिया गया था / दिया गया है।

*यदि लागू न हो तो इस भाग को काट दें।

(4) अर्जीदार/अर्जीदारों को उक्त अवधि के दौरान मजदूरी...... की दर पर संदत्त की गई थी/है जबकि वैसे ही काम या वैसे ही प्रकृति के काम के लिए भिन्न लिंग के कर्मकारों को .... की दर पर मजदूरी का संदाय किया गया था या किया गया है।

(5) अर्जीदार/अर्जीदारों अपने द्वारा चाहे गए अनुतोष का मूल्य [रु० (शब्दों मे)... रुपये] प्राक्कलित करता है/करते हैं।

(6) अतः अर्जीदार प्रार्थना करता है/करते हैं कि प्राधिकारी ऊपर दिए गए दावे का विनिश्चय करें और उस पर ऐसा आदेश पारित करें या करे जो वह ठीक और उचित समझें।

(7) अर्जीदार निवेदन करता है कि, जब कभी आवश्यक हो प्राधिकारी की अनुज्ञा से अर्जी में संशोधन या परिवर्द्धन या परिवर्तन करने की आज्ञा चाहता है/चाहते हैं।

अर्जीदार, निष्ठापूर्वक घोषित करता है/करते हैं कि इस याचिका में कथित तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और जानकारी के अनुसार सही है।

अर्जीदार/अर्जीदारों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

........(यहां कर्मकारों का नाम दीजिए) द्वारा मुझे उसकी/उनकी* ओर से उपसंजात होने और कार्य करने के लिए लिखित रुप में सम्यक्तः प्राधिकृत किया गया है।

स्थान सम्यक्तः प्राधिकृत विधि व्यवसायी/रजिस्ट्रीकृत

तारीख व्यवसाय संघ के पदधारी के हस्ताक्षर।

प्ररूप 'ग'

(नियम 5 देखिए)

विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के किसी पदधारी के हक में प्राधिकरण का प्ररूप।

मैं/हम एतद्द्वारा श्री/श्रीमती*/कुमारी.......................को जो विधि व्यवसायी/............का पदधारी है जो कि रजिस्ट्रीकृत संघ है,.....(नियोजक का नाम दिया जाए) के विरुद्ध परिवाद*/दावे के कारण......(अधिनियम के उल्लंघन का उल्लेख

*यदि लागू न हो तो इस भाग को काट दें।

करे) उसकी बाबत नियम, 3 क उप नियम (3)*/नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन मेरी/हमारी*/ ओर से उपसंजात होगे और कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

स्थान कर्मकार/कर्मकारों के हस्ताक्षर/

तारीख अंगूठा निशान

साक्षी

(1)

(2)

(3)

मैं प्राधिकरण स्वीकार करता हूं।

विधि व्यवसायी

रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी संघ का पदधारी

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररुप 'घ'

(नियम 6 देखिए)

समान पारिश्रमिक नियम, 1976 के नियम 6 के अधीन नियोजक द्वारा रजिस्टर का रखा जाना

पूरे पते सहित स्थापन का नाम ....

नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या........................

नियोजिकृत पुरुष कर्म कारों की कुल संख्या..... ....

नियोजित स्त्री कर्मकारों की कुल संख्या........................

कर्मकारों की प्रवर्ग	काम का संक्षिप्त वर्णन	नियोजित पुरुषों की संख्या	नियोजित स्त्रियों की संख्या	संदत्त पारिश्रमिक की दरें	पारिश्रमिक के संघटक				
					मूल मजदूरी या वेतन	मंहगाई भत्ता	मकान किराया भत्ता	अन्य भत्ते	आवश्यक वस्तुओं के रियायती प्रदाय का नकद मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[सं० फा० पी–11025/51/75–डब्ल्यू सी]

टी० एस० शंकरन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976